इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 169] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 मई 2015—वैशाख 11, शक 1937

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2015

क्र. एफ-6-78-2006-अ-ग्यारह.—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 8 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उप संचालक, उद्योग (एम. एस. एम. ई.) उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को उस प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसे कि कोई सूक्ष्म या लघु या मध्यम उद्यम स्थापित करने का आशय रखने वाला कोई व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) एवं अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व स्थापित एवं पंजीकृत तथा मध्यप्रदेश के किसी जिले में अवस्थित लघु उद्योग के बारे में उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (क) के अधीन ऑनलाइन, ज्ञापन दाखिल कर सकेगा.

No. F-6-78-2006-A-XI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 8 of The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) and in supersession of all previous Notifications issued in this behalf, the State Government, hereby specifies the Deputy Director of Industries (MSME), Directorate of Industries, Madhya Pradesh, Bhopal as the authority with which any person intending to establish a Micro or Small or Medium Enterprise therein, may file online memorandum under clause (c) of sub-section (1) of Section 8 and sub-clause (a) of clause (c) of sub-section (1) of Section 8 of the said Act in respect of a Small Scale Industry established and registered before the commencement of the said Act and located in any district of Madhya Pradesh.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एल. कान्ता राव, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.